

राजस्थान सरकार
चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग

क्रमांक: पीएस/पीएचएस/2009/453


दिनांक: 07-11-2009

9-11-09

औघधि नियंत्रक,
प्रथम/द्वितीय, राजस्थान

विषय:- ऑस्लटामीवियर दवा बिक्री हेतु मेडिकल स्टोर्स को अधिकृत करने हेतु


माननीय मुख्य मंत्री महोदय की अध्यक्षता में दिनांक 06-11-2009 को स्वाईन फ्लू इन्फ्लूएन्जा ए (H1N1) की समीक्षा बैठक के दौरान राज्य में सभी मेडिकल कालेज अस्पतालों, जिला चिकित्सालयों, सेटेलाईट अस्पताल एवं रेफरल अस्पतालों के पास स्थित मेडिकल स्टोर्स में से एक मेडीकल स्टोर को एवं अस्पताल में स्थित लाईफ लाईन स्टोर को भी ऑस्लटामीवियर दवा की बिक्री हेतु अधिकृत करने की कार्यवाही कर, दवा की उपलब्धता सुनिश्चित करें। सभी बड़े शहरों में कम से कम दो मेडिकल स्टोर्स को 24 घंटे ऑस्लटामीवियर दवा की बिक्री हेतु अधिकृत करने की कार्यवाही कर पालना रिपोर्ट प्रस्तुत करें।



(जी०एस० संघु)
प्रमुख शासन सचिव,

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. विशेषाधिकारी, माननीय मुख्यमंत्री सचिवालय, राजस्थान, जयपुर।
2. निजी सचिव, माननीय स्वास्थ्य मंत्री महोदय, राजस्थान, जयपुर।
3. समस्त अधीक्षक, मेडिकल कालेज अस्पताल, राजस्थान।
4. निदेशक (जन स्वास्थ्य), चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, राज० जयपुर।
5. समस्त सयुक्त निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, जोन-राजस्थान।
6. समस्त प्रमुख चिकित्सा अधिकारी, राजस्थान।



(जी०एस० संघु)
प्रमुख शासन सचिव,